133
15-1-18

फैक्स ई–मेल, अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स

आयुध एवं परिवहन इकाई चतुर्थ तल जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ–1

संख्या: लाजि0–आ0आ0चयन / 2017 दिनांक: जनवरी 11, 2018

सेवा में,

1. अपर पुलिस महानिदेशक, डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ
3. अपर पुलिस महानिदेशक "तकनीकी सेवायें" उ0प्र0 लखनऊ
4. अपर पुलिस महानिदेशक, "सुरक्षा मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ
5. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस बल लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस गोरखपुर।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीसी मुरादाबाद।
9. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।
10. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस उन्नाव।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस मुरादाबाद।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर।
13. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक जोन्स उ0प्र0।
14. पुलिस महानिरीक्षक आरटीसी चुनार मीरजापुर।
15. पुलिस महानिरीक्षक ए0टी0एस0 लखनऊ।
16. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र0।
17. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीटीएस मेरठ
18. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 लखनऊ।
19. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ।
20. सेनानायक, 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर / केन्द्रीय रिजर्व सीतापुर।
21. समस्त राजकीय रेलवे पुलिस उ0प्र0।

विषय : आरक्षी आरमोरर के चयन हेतु अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षियों का नामांकन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

---

website

कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी आरमोरर के चयन हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2016 के नियम–5(क) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी ना0पु0 / सशस्त्र पुलिस / पीएसी के नामांकन / प्रार्थना–पत्र सहित लाजिस्टिक्स कार्यालय को विलम्बतम 20.01.2018 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करे :–

नामांकन हेतु अर्हता / पात्रता :–

PIAD 21/1/2018

(एक) चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को 32 वर्ष की आयु से अधिक न हों।

(दो) अच्छे स्वास्थ्य का हो और आखों के परीक्षण में दृष्टि 6/6 बिना चश्में के हों।

(तीन) पूर्व में आरक्षी आरमोरर के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हों।

(चार) भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को कम से कम 03वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में व्यतीत किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हो।

(पॉच) विगत पॉच वर्षो की अवधि में:–

(1) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो, या

(2) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या

(3) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हो।

(छ:) विगत तीन वर्षो की अवधि में :–

15/1/18

(1) कोई लधु दण्ड न मिला हो, या

(2) दो या उससे अधिक छुद्र दण्ड न मिले हो, या

(3) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो ।

3– उपरोक्त अर्हता रखने वाले कर्मियों से सम्बन्धित सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर द्वारा माइक्रोसाफ्ट एक्सल में **TIMES NEW ROMAN FONT Size-10** में भरकर सीडी एवं पेन ड्राइव में प्रिन्ट आउट (HARD COPY) सहित दिनांक 20.01.2018 तक प्रत्येक दशा में लाजिस्टिक्स कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

निर्देश :–

नामांकन भेजते समय निम्नांकित निर्देशों का कडाई से पालन किया जाय :–

(1) नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण (विशेषतः दृष्टि परीक्षा) नामांकन भेजने के पूर्व ही करा लिया जाये तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात दृष्टि परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम (अंको में) अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में आरक्षी कलर ब्लाइण्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण–पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

(2) नामांकन भेजने से पूर्व नामांकित आरक्षी नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस /पीएसी से इस आशय का बाण्ड भराकर रख लिया जाय कि उनके अस्त्र–शस्त्रों के अबैध ब्यवहरण में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लिप्त पाये जाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारण से, अपने मूल सवंर्ग में वापस किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं इस नियमावली के अधीन धारित किसी भी पद पर मूल विभाग में अधिकार नहीं होगा। इस बाण्ड की एक प्रति नामांकन के साथ भेजी जाये।

(3) नामांकन केवल निर्धारित प्रारूप में भरकर लाजिस्टिक्स कार्यालय को प्रेषित किया जाय एवं सुनिश्चित कर लिया जाय कि वह पूर्णरूप से सही–सही भरा गया है।

(4) नामांकन दिनांक 20.01.2018 तक ही स्वीकार किये जायेगें।

(5) जिस आरक्षी की सत्यनिष्ठा दिनांक 01.07.2017 से विगत 05 वर्ष के अन्दर रोकी गयी हो, किसी भी दशा में उनका नामांकन नहीं भेजा जाय।

(6) नामांकित आरक्षी का पॉच वर्ष का वार्षिक गोपनीय मन्तव्य संलग्न शासनादेश संख्या 36/1/78–का0–2–94 दिनांक 23.03.94 में निहित निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित प्रारूप में अंकित किया जाय।

(7) इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनायें सर्व प्रकार सही–सही अंकित की गयी है एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नही है।

4– कृपया इसे वरीयता प्रदान करें।

संलग्नकःयथोपरि।

11.1.18

(एस0के0शुक्ला)
अपर पुलिस अधीक्षक
निमि0अपर पुलिस महानिदेशक,लाजिस्टिक्स,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः– कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक,उ0प्र0 लखनऊ।

2– पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ समस्त वाहिनियो से सूचना प्राप्त करके निर्धारित प्रारूप में सी0डी0 सहित नियत तिथि तक इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3– पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।

4– पुलिस अधीक्षक तकनीकी सेवायें मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त का प्रकाशन यू0पी0पुलिस की बेवसाईट पर करने का कष्ट करें ।

क्र0 स0	पी0 एन0 ओ0 नम्बर	पदनाम	नाम	गृह जनपद	जाति	उप जाति	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	शैक्षिक योग्यता	दिनांक 01.07.17 को आयु			दिनांक 01.07.17 को कुल सेवा (प्रशिक्षण अवधि को जोडकर)			पुरस्कार		विगत 10 वर्ष का गोपनीय मंतव्य										पदक			विगत 05 वर्षो में दिये गये दण्ड का विवरण				विभागीय कार्यवाही / पंजीकृत अभियोग का विवरण यदि कोई हो	वर्तमान नियुक्ति स्थान	अभियुक्त
										वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह	दिन	नकद	उ0प्र0	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	महामहिम राष्ट्रपति का पुलिस पदक / वीरता पदक	महामहिम राज्यपाल का पुलिस पदक / वीरता पदक	पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त उत्कृष्ट / सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान चिन्ह	बृहद दण्ड की सख्या	लघु दण्ड की सख्या	छुद्र दण्ड की सख्या	सत्य निष्ठा रोकी गयी हो तो उसका वर्ष			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

प्रमाणित किया जाता है कि अंकित की गयी सभी सूचना अभिलखो के आधार तैयार की गयी है, जिसमें कोई त्रुटि नही है।

कम्प्यूटर कर्मी के हस्ताक्षर व पदनाम

सम्बन्धित सहायक के हस्ताक्षर व पदनाम

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर व पदनाम

वरिष्ट / पुलिस अधीक्षक / सेनानायक के हस्ताक्षर व पदनाम मोहर सहित